–:: निविदा–सूचना ::–

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि है कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के दृष्टिगत तहसील चमोली क्षेत्रान्तर्गत बनाये गये स्थाई/अस्थाई **Quarantine Facility Centre** यथा संस्कृत महाविद्यालय छात्रावास मण्डल, जवाहर नवोदय विद्यालय पीपलकोटी, सम्भाव आश्रम मायापुर पीपलकोटी, नर्सिंग कालेज गोपेश्वर चमोली, जय लॉज, गुरू कृपा लॉज, अल्पाइन लॉज, आस्था लॉज, मण्डल रोड इत्यादि व समय–समय पर बनाये जाने वाले अस्थाई **Quarantine Facility Centre** में **Quarantine** किये गये अथवा किये जाने वाले व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था आदि हेतु मोहर बंद निविदायें द्वि–निविदा प्रणाली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 (यथा–संशोधित) के अनुसार अन्तिम तिथि दिनांक 15.06.2020 के पूर्वाहन 11:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा आवेदन पत्रों को तहसील कार्यालय चमोली से दिनांक 10.06.2020 से दिनांक 15.06.2020 के पूर्वाहन 11:00 बजे तक रू0 500.00 (पॉच सौ रूपये मात्र) नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। सम्बन्धित निविदा प्रपत्र तहसील कार्यालय चमोली में ही दिनांक 15.06.2020 के अपराहन तक स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक अथवा स्वंय जमा किये जा सकते हैं। अपराहन 2:00 बजे बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 15.06.2020 को अपराहन 3:00 बजे निविदाताओं की उपस्थिति में विभागीय समिति के समक्ष तहसीलदार कक्ष में खोली जायेगी।

निविदा सम्बन्धित जानकारी/शर्तें एन0आई0सी0 की वेबसाईट www. chamoli.gov.in पर उपलब्ध हैं व सभी कार्य दिवसों में रजिस्ट्रार–कानूनगो कक्ष तहसील चमोली से भी प्राप्त की जा सकती है।

ह0/–
उप जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालयः उपजिलाधिकारी चमोली, जनपद–चमोली।

संख्याः– 913 /र0का0/कोविड–19/निविदा (2020–2021) दिनांकः 08 जून, 2020

प्रतिलिपिः–

1– सम्पादक, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान चमोली गोपेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम राजकीय दरों पर कम से कम स्थान पर प्रकाशित करवाकर बिल/देयक जिला सूचना अधिकारी गोपेश्वर से सत्यापित कराते हुए समाचार पत्र की कटिंग सहित भुगतान हेतु इस कार्यालय को दो प्रतियों में उपलब्ध करायें।

2– जिला सूचना अधिकारी गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– नायब नाजिर तहसील चमोली को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड तहसील कार्यालय/कार्यालय नगर पालिका परिषद गोपेश्वर–चमोली/नगर पंचायत पीपलकोटी/नन्दप्रयाग/खण्ड विकास कार्यालय दशोली तथा चमोली/गोपेश्वर बाजार में सर्वाजनिक स्थलों पर चस्पा करवाये जाने की कार्यवाही करें।

4– सूचना विज्ञान अधिकारी गोपेश्वर चमोली कृपया उपरोक्त निविदा एवं निविदा शर्तो को एन0आई0सी0की वेबसाईट www. chamoli.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप जिलाधिकारी,
चमोली।

निविदा की शर्तें

1– मानक के अनुसार भोजन व्यवस्था गुणवत्तायुक्त उच्चकोटि की होनी चाहिए ।

2– गुणवत्ताहीन/खराब भोजन पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए धरोहर धनराशि भी जब्त की जायेगी तथा स्वीकृत निविदा निरस्त की जायेगी।

3– स्वीकृत निविदा के अनुसार ही भोजन बिल वेसिस के आधार पर उपलब्ध कराया जाना होगा तथा बजट उपलब्ध होने पर ही फर्म को उनके बिल का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

4– फर्म को जी0एस0टी0 पंजीकृत होना चाहिए, जिसकी प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी।

5– फर्म को विगत दो वर्ष **Assessment Year** (2018–19) एवं (2019–20) के आई0टी0आर0 की प्रमाणित छायाप्रति संल्लन की जानी होगी।

6– **Quarantine Facility Centre** तक भोजन आपूर्ति किये जाने तक के व्यय सहित भोजन व्यवस्था की दरों का उल्लेख निविदा आवेदन पत्र में करना होगा। निविदा में आवेदन पत्र में अंकित धनराशि के अतिरिक्त किसी प्रकार की धनराशि फर्म को देय नही होगी।

7– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 की शर्तों के अनुसार निविदादाताओं को जमानत धनराशि रू0 750000–00 (पिचहत्तर हजार रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो उपजिलाधिकारी चमोली के नाम हो, संलग्न करना होगा। सफल निविदादाता को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि को यथाशीघ्र 30 दिनों के अन्तर्गत वापस कर दिया जायेगा।

8– निविदा आवेदन पत्र प्रकाशन की तिथि से दिनांक 15.06.2020 के पूर्वाहन 11:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवसों में तहसील चमोली के रजिस्ट्रार कानूनगो अनुभाग से रू0 500.00(पॉच सौ) मात्र नगद जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

9– निविदा केवल पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा की सकती है। निविदा दिनांक 15.06.2020 के अपराहन 2:00 बजे तक तहसील कार्यालय चमोली के रजिस्ट्रार कानूनगो अनुभाग के कक्ष मे अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। अपराहन 2:00 बजे के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा सम्बन्धित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में तहसील कार्यालय चमोली से प्राप्त की जा सकती है।

10– निविदा दिनांक 15.06..2020 को निविदा समिति के समक्ष अपराहन 3:00 बजे कार्यालय तहसील चमोली के तहसीलदार कक्ष में खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदाता स्वंय अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

11– निविदा आवेदन पत्र में टैक्स का उल्लेख करना अनिवार्य है। तदनुसार भोजन की दरें कर सहित सम्मिलित करते हुए दिया जाना होगा।

12– निविदा दो विड सिस्टम के अन्तर्गत आमंत्रित की जायेगी। जिसमें एक लिफाफा तकनीकी निविदा का तथा दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा का होगा। जिन्हें पृथक पृथक लिफाफे में बन्द कर तद्नुसार दोनों को एक लिफाफे में बन्द कर तहसील चमोली के रजिस्ट्रार कानूनगो अनुभाग को भेजना होगा। लिफाफे के बाहर उनके नाम जैसे तकनीकी निविदा/वित्तीय निविदा लिखना होगा।

13– तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्न (छायाप्रति) प्रपत्र अनिवार्य होंगे (1) पेन कार्ड (2)जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र (3) आयकर रिर्टन **(last two year I.T.R. Assessment Year (2018-19), (2019-2020)** (4) आधार कार्ड (5) शपथ पत्र रू0 10 मात्र का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मूल में दिया जाना होगा, जिसमें निविदाता को काली सूची (ब्लैक लिस्टेट) में न होने व निविदा की सभी शर्ते मान्य होने के सम्बन्ध में दिया जाना होगा।

14– वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदाता द्वारा भोजन सामग्री की दरों को सभी जी0एस0टी0 सहित दिया जना होगा, जिसमें फर्म के हस्ताक्षर व मोहर होनी आवश्यक है।

15– तकनीकी निविदा पूर्ण/अर्ह पाये जाने पर ही सम्बन्धित फर्म की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

16– निविदा जमा करने एवं खोलने की नियत तिथि दिनांक 15.06.2020 को यदि किसी कारण वश अवकाश होता है तो तद्नुसार उसी नियत समय के अनुसार निविदा प्रपत्र कय करने एवं निविदा जमा करने तथा खोलने की तिथि अगले कार्य दिवस होगी।

17– प्राप्त निविदाओं का निस्तारण सम्बन्धित कार्यवाही विभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा तथा निविदा की अवधि 01 वर्ष अथवा **Quarantine Facility Centre** के संचालित अवधि, जो भी पहले हो, तक होगी जो कि निविदा स्वीकृत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

18– उपरोक्त उल्लिखित की गयी भोज्य सामग्री उदाहरण के तौर पर हैं उसी के समकक्ष अन्य भोज्य पदार्थ के मैन्यू तय किये जा सकते है एवं समय–समय पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके साथ ही किसी शर्तो को जोड़ने एवं घटाने का सर्वाधिकार उप जिलाधिकारी चमोली के पास सुरक्षित होगा।

19– किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उप जिलाधिकारी चमोली के पास सुरक्षित होगा।